

क्रमांक / सहायता / 2022 / 2688

दिनांक:- 5/7/22


स्वीकृति-आदेश

प्राकृतिक आपदा (अग्निकाण्ड/आकाशीय बिजली) से हुये नुकसान से पीडित परिवार को सहायता दिलाने हेतु तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई अभिशंभा के आधार पर एसडीआरएफ/सीआरएफ नोर्मस के अनुसार पीडित परिवार को निम्नानुसार आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की जाती है:-

| क.सं | आवेदक का नाम पता | अग्निकाण्ड / आ0बि0 दिनांक | प्राप्त आवेदन दिनांक | कपडा | वर्तन | मकान | पशु आदि | खडी फसल | स्वीकृत राशि |
|-----------|---|---------------------------|----------------------|------|-------|------|---------|---------|--------------|
| तहसील-धोद | | | | | | | | | |
| 1 | सोहनीदेवी पत्नी देवाराम बलाई नि0 बोसाना | 19.5.22 | 19.5.22 | 0 | 0 | 3200 | 66000 | 0 | 69200 |
| | योग- | | | | | | | | 69200 |

(राशि रू0 उनहतर हजार दो सौ मात्र)

यह राशि लेखा मद 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 01-सूखा, 800-अन्य व्यय, 03-राहत कार्यों पर व्यय(02)-अग्नि सहायता-12-सहायतार्थ अनुदान से आहरित की जायेगी।



(अभिजित घतुर्वेदी)
जिला कलक्टर, सीकर

क्रमांक / सहायता / 2022 /

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1.शासन सचिव,आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर
- 2.कोषाधिकारी,सीकर
- 3.आहरण एवं वितरण अधिकारी कलेक्ट्रेट,सीकर
- 4.उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार धोद
- 5.जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,सीकर
- 6.रक्षित पत्रावली


(धारा सिंह मीना)
अति0जिला कलक्टर, सीकर